न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द
(राकेश कुमार आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

अपील संख्या :– 31/2019
दायर दिनांक :– 25/10/2019
निर्णय दिनांक :– 18/02/2020

अनवान

1. श्रीमती पुष्पा पत्नी स्वर्गीय शम्भुलाल, जाति पुर्बिया गाडरी, उम्र 30 वर्ष, निवासी पीपली आचार्यान, हाल निवासी मोही, तहसील कुंवारिया जिला राजसमन्द
2. सुश्री रिंकु पुत्री स्व0 शम्भुलाल, जाति पूर्बिया गाडरी, उम्र 10 वर्ष नाबालिग जरिये सरंक्षक माता प्रार्थिया श्रीमती पुष्पा पत्नी स्वर्गीय शम्भुलाल, जाति पुर्बिया गाडरी, उम्र 30 वर्ष, निवासी पीपली आचार्यान, हाल निवासी मोही, तहसील कुंवारिया जिला राजसमन्द

———निगराकार

बनाम

1. ग्राम पंचायत पीपली आचार्यान जरिये सचिव ग्राम पंचायत पीपली आचार्यान पंचायत समिति राजसमन्द तहसील कुंवारिया,जिला राजसमन्द
2. श्रीमती कंकुबाई पत्नी श्री लखमा, जाति पुर्बिया गाडरी, निवासी पीपली आचार्यान तहसील कुंवारिया जिला राजसमन्द
3. श्रीमती पुष्पा पत्नि सोहनलाल, जाति पूर्बिया गाडरी, निवासी गायरियों की मगरी नाथद्वारा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द

———गैर निगराकार

निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 ग्राम पंचायत पीपली आचार्यान द्वारा जारी पट्टा संख्या 21 दिनांक 08.06.2017 के विरूद्ध निगरानी

उपस्थित :–

1– श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता निगराकार
2– श्री अब्दुल हकीम चुडीघर, अधिवक्ता गैर निगराकार 1
3– श्री भौपाल सिंह राव, अधिवक्ता गैर निगराकार 2 व 3

–: निर्णय :–

प्रस्तुत निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है । ग्राम पंचायत पीपली आचार्यान द्वारा पट्टा संख्या 21 दिनांक 08.06.2017 को 50 वर्ष से अधिक पुराने कब्जे के आधार पर पैतृक मकान का पट्टा विपक्षी संख्या 2 के नाम पर जारी करने से पिडित होकर होकर यह निगरानी पेश की है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर जिला-राजसमन्द

निगरानी दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी ।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । अधिवक्ता निगराकार ने अपनी बहस में कथन किया है कि ग्राम पंचायत पीपली आचार्यान द्वारा पट्टा संख्या 21 दिनांक 08.06.2017 को 50 वर्ष से अधिक पुराने कब्जे के आधार पर पैतृक मकान का पट्टा विपक्षी संख्या 2 के नाम पर जारी किया हैं जिसके पडौस निम्न प्रकार हैं–

पूर्वः कन्हैयालाल का नोहरा

पश्चिम : आम रास्ता

उत्तरः गोरू पिता नवला का बाडा

दक्षिणः नारू पिता लक्ष्मण पूर्बिया

कुल क्षेत्रफल 2525 वर्गफीट का पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा नियमों के विरूद्ध जारी किया गया हैं। वादग्रस्त मकान जिसका पट्टा जारी किया गया हैं, वह पैतृक मकान लखमा का रहा हैं, जिसका अकेले कंकुबाई के नाम पर पट्टा जारी करने में ग्राम पंचायत ने त्रुटि कारित की हैं। लखमा का पुत्र शम्भूलाल था तथा पत्नी कंकूबाई थी। लखमा के स्वर्गवास के बाद उनकी जायदाद उनकी पत्नी कंकूबाई एवं शम्भूलाल को प्राप्त हुई लेकिन उक्त पट्टा अकेले कंकूबाई ने अपने नाम पर जारी करवा दिया। निगराकार शम्भूलाल पिता लखमा की पत्नी हैं तथा निगराकार के शम्भूलाल के नुत्फे से एक पुत्री रिंकु हुई जो वर्तमान में 10 वर्ष की हैं। निगराकार का पति शम्भुलाल तस्वीर की फ्रेमींग का कार्य करता था और उक्त व्यवसाय नगर नाथद्वारा में मुख्य रूप से संचालित होने से शम्भूलाल निगराकार को अपने साथ नाथद्वारा ले गया व वहां पर किराये के मकान में अपना कार्य सम्पादित करने लगा था इस दरमियान वह अपने पीपलीआचार्यान भी नियमित रूप से आता जाता था। प्रार्थीया के पति शम्भूलाल का स्वर्गवास बीमारी के कारण करीब 3 वर्ष पूर्व हो चुका हैं। शम्भूलाल के स्वर्गवास के बाद निगराकार संख्या 1 अपनी पुत्री के साथ पीपली आचार्यान आयी और विपक्षी संख्या 2 के साथ निवास करने लगी। पीपली आचार्यान में निगराकार के ससुर का एक पैतृक मकान जिसमें 2 कमरे, रसोई, चौक आदि बने हुए हैं, जिसमें निगराकार नियमित रूप से रह रही थी।विपक्षी संख्या 2 ने निगराकार को गालीगलोच व लडाई झगडा कर घर से बाहर निकाल दिया और घर पर ताला लगा दिया तथा उसके जर–जेवर एवं गृहस्थी का सारा सामान अपने कब्जे में विपक्षी संख्या 2 द्वारा विपक्षी संख्या 3 के सिखावें में आकर रख लिये। उक्त विवादित मकान का पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा गलत रूप से विपक्षी संख्या 2 के नाम पर जारी किया गया हैं। उक्त मकान निगराकार के हक अधिकार का हैं तथा निगराकार का भी इस मकान में हिस्सा निहित हैं। ग्राम पंचायत ने उक्त पट्टा जारी करने में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियमों की पालना नहीं की हें और उक्त पट्टा जारी कर दिया हैं, जो विधि विरूद्ध हैं। उक्त पट्टे शुदा मकान में निगराकार के हित निहित हैं। वह उक्त मकान में निवास करती हैं तथा उसका उक्त मकान में हक अधिकार हैं। उक्त मकान कंकुबाई का पैतृक होना संभव ही नहीं हैं। उक्त मकान मूल रूप से लखमा का था और लखमा की जायदाद निगराकार की पत्नी

को विरासत से प्राप्त हुई थी लेकिन उक्त पट्टा विपक्षी संख्या 2 ने अपने नाम पर जारी करवा दिया। लखमा की कृषि भूमि में भी विरासत से निगराकार के पति एवं विपक्षी संख्या 2 का नाम दर्ज होने के बाद निगराकार के पति का स्वर्गवास हो गया तो निगराकार का नाम भी उसके पति की उक्त भूमि में पति के स्थान पर विरासत से दर्ज हुआ हैं, ऐसी स्थिति में उक्त मकान का पट्टा निगराकार के नाम पर जारी न कर अकेले विपक्षी संख्या 2 के नाम पर जारी करने में ग्राम पंचायत द्वारा त्रुटि कारित की गयी हैं। उक्त पट्टे की कार्यवाही सारी एक ही दिन में पूरी कर दी गयी हैं। उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व न तो आपत्ति आह्वान पत्र जारी हुआ हैं, न ही उक्त पट्टा जारी करने की कोई सार्वजनिक सूचना निकाली गयी हैं, नही पट्टा जारी करने से पूर्व इसका ग्राम पंचायत द्वारा निरीक्षण किया गया, न ही पर्चा मौका बनाया गया। सारी कार्यवाही एक ही दिन में बैठे बैठे सम्पादित करवायी गयी हैं। उक्त पट्टे के आधार पर विपक्षी संख्या 2 ने विपक्षी संख्या 3 के पक्ष में उपहार विलेख निष्पादित कर कार्यालय उप पंजीयक कुंवारिया के यहां पर पंजीबद्ध कराया। उक्त पट्टेशुदा भूमि में जिसमें निगराकार का हित निहित हैं, विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में पट्टा जारी कर उक्त पट्टे के आधार पर विपक्षी संख्या 2 ने उक्त भूमि को विपक्षी संख्या 3 के पक्ष में अंतरण कर दिया हैं, जिससे उक्त पट्टे को निरस्त कराया जाना निगराकार के लिए आवश्यक हैं। अन्यथा उक्त वादग्रस्त जायदाद से निगराकार को बेदखल कर देगें तथा उसके हक अधिकार उक्त पट्टे के बने रहने से समाप्त हो जायेगें। उक्त जायदाद लखमा की सम्पति थी और लखमा की सम्पत्ति में निगराकार का हित निहित हैं। अतः निवेदन हैं कि ग्राम पंचायत पीपली आचार्यान द्वारा जारी पट्टा संख्या 21 दिनांक 08.06.2017 को निरस्त फरमाया जावें।

गैरनिगराकार के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में कथन किया हैं कि उक्त पट्टा विधि सम्मत प्रकिया अपनाते हुए जारी किये गये हैं। जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं हैं। उक्त विवादग्रस्त पट्टे पर गैरनिगराकार 2 का 50 वर्षों से अधिक कब्जा हैं। उसी कब्जे को आधार मानकर पंचायत द्वारा यह पट्टा जारी किया हैं। उक्त विवादित पट्टे पर गैरनिगराकर 2 का ही कब्जा हैं, तथा उसके द्वारा पट्टा विधिवत् तरीके से प्राप्त किया हैं। तथा गैरनिगराकार 2 द्वारा उक्त विवादित पट्टा गैरनिगराकार 3 जो कि गैरनिगराकार 2 की पुत्री हैं को जरिये रजिस्टर्ड उपहार विलेख आवासीय प्लाट मय मकान उपहार के रूप में दे दिया हैं। अतः निगराकार की निगरानी अस्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत पीपली आचार्यान द्वारा जारी पट्टे को यथावत् रखा जावें।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त विवादित मकान पैतृक हैं। तथा पैतृक सम्पति मैं सभी वारिसानों का समान हक होता हैं। उक्त विवादग्रस्त मकान गैरनिगराकार संख्या 2 के पति स्व लखमा की हैं। तथा शम्भुलाल एवं निगराकार संख्या 1 लखमा के पुत्र एवं पुत्रवधु हैं। तथा गैरनिगराकार संख्या 2 स्व0 लखमा की पत्नि हैं। लखमा एव लखमा के पुत्र की मृत्यु हो जाने से उक्त पैतृक मकान पर लखमा की पत्नि एवं पुत्रवधु दोनों का ही अधिकार हैं। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त विवादित पैतृक मकान का पट्टा केवल गैरनिगराकार संख्या 2 के नाम जारी किया गया है, जो गलत एवं विधि विरूद्ध हैं। ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा विधि विरूद्ध होने से निरस्त होने योग्य हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत पीपली आचार्यन द्वारा जारी पट्टा संख्या 21 दिनांक 08.06.2017 को जारी पट्टा निरस्त किया जाता है। पत्रावली को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वे उभयपक्षों की सुनवाई कर निगराकार व गैरनिगराकार संख्या 2 के नाम पर नए सिरे से विधि अनुसार पट्टे जारी करने की कारवाई सुनिश्चित करें।

(राकेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांक 18.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राकेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द

अतिरिक्त जिला कलक्टर
जिला-राजसमन्द